>

Title: Need to take steps to fix the year 2008 for calculating the eligibility conditions for regularization of unauthorized colonies in Delhi.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों के विनियमन के विनियम से संबंधित भारत के राजपत्र दिनांक 24 मार्च, 2008 में यह प्रावधान किया गया है कि अनाधिकृत कॉलोनियों/बस्तियों, जिनमें नियमन योजना की औपचारिक घोषणा की तिथि को 50 प्रतिशत से अधिक प्लाटों पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है, तथापि उपर्युक्त कालोनियों में 31.3.2002 के बाद और नियमन योजना की औपचारिक घोषणा की तिथि तक बने प्लॉटों को कॉलोनी की नियमन की पात्रता निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखकर की जाएगी। लेकिन इस बारे में अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने भी केन्द्र सरकार को वर्ष 2009 में नियमितिकरण से संबंधित भारत के राजपत्र दिनांक 24 मार्च, 2008 के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने हेतु अनुरोध किया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी बस्तियों में जिनमें वर्ष 2002 में कोई आबादी नहीं थी, लेकिन औपचारिक घोषणा वर्ष 2008 तक उन कालोनियों में 50 प्रतिशत से अधिक मकान बनकर उनमें बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, से संबंधित कालोनियों की नियमन पात्रता निर्धारित किए जाने से संबंधित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 24 मार्च, 2008 के नियम 303 के खण्ड "ग" में दिए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नियमन की निधारक तिथि औपचारिक घोषणा वर्ष 2008 किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।